भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4675

जिसका उत्तर, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक) को दिया गया

बैंक ऋणों का समायोजन

4675. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय ने बैंकों को विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की फर्मों को बंद करने और नौकरी खत्म होने को रोकने और अशोध्य ऋण जहां ऋण राशि दो सौ करोड़ रुपये से कम है, को नियमित करने के लिए सलाह दी है और बैंकों को वर्तमान प्रवर्तकों के साथ काम करना चाहिए ताकि एकमुश्त समायोजन योजना सहित एक दीर्घकालिक समाधान का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय बैंक उक्त सलाह का पालन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान से लेकर आज तक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को भेजे गए मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे छोटे और मध्यम व्यापारियों का ब्यौरा क्या है जो बैंक ऋण का भुगतान करना चाहते हैं लेकिन बैंकों ने उनके खातों को एनपीए घोषित किया है और एनसीएलटी को भेजा है; और

(ङ) इस संबंध में दोषी बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.): वैसे लघु तथा मध्यम व्यापारी, जो अपना बैंक ऋण चुकाना चाहते हैं परंतु बैंको ने उनके खातों को अनुप्रयोज्य आस्ति (एनपीए) घोषित कर दिया है तथा एनसीएलटी को भेज दिया है, के विवरण के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है। पीएसबी ने यह भी सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार, यदि उधारकर्ता द्वारा ऋण का भुगतान कर दिया जाता है, तो ऋण खाते कतिपय मामलों जैसे- स्टॉक विवरण तथा उधार बही विवरण प्रस्तुत न करना, ऋण सुविधा का नवीकरण न करना इत्यादि के अतिरिक्त एनपीए में परिवर्तित नहीं होते हैं।

*****